कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक 812 /वाद सं0 सी–0022/एस–माजरीग्रान्ट/2020 दिनांक 24-5 ,2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, 7900537777
देहरादून।

श्री धर्मेन्द्र चौधरी, शेरगढ़ मार्ग, माजरीग्रान्ट, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल में भूखण्डों का चिन्हीकरण एवं मार्ग विकास कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ तथा विकास कार्य राके जाने की कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण वाद सं0 सी–0022/एस–माजरीग्रान्ट/2020 योजित किया। उक्त चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29/5/23 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तिकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

अनुरोध/श्री धर्मेन्द्र चौधरी ने अपना नोटिस लेनेसे इन्कार किया नोटिस मौके पर चस्पा किया।
आभाराम
24-5-23

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में ध्वस्तिकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. उपजिलाधिकारी, डोईवाला, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. थानाध्यक्ष डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तिकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एंव ध्वस्तिकरण से संबंधित जे.सी.बी. संबधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. श्री धर्मेन्द्र चौधरी, शेरगढ़ मार्ग, माजरीग्रान्ट, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि आदेश संख्या 137 दिनांक 10.04.2023 के कम में सूचनार्थ।

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

29/5/23

24/5/23

24/5/23